न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या 39/2013 खाद्य सुरक्षा
उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

बनाम

1. श्री प्रकाश गुरनानी पुत्र श्री प्रेम चन्द गुरनानी, मालिक/विक्रेता फर्म– शिवम पान पैलेस, दुकान संख्या 30, सेक्टर–आई, बापुनगर, भीलवाड़ा
   स्थाई पता– मकान संख्या ए–13, हनुमान मन्दिर के पास, बापुनगर भीलवाड़ा।
2- श्री घनश्याम सोमाणी पुत्र श्री बंशी लाल सोमाणी भागीदार M//s Subhash Ice-creams , Near Indira Market. Bhilwara -311001
   स्थाई पता–मकान नं. 28, सुभाष नगर, भीलवाडा
3- श्री बंशी लाल सोमाणी पुत्र श्री केशुलाल सोमाणी भागीदार M//s Subhash Ice-creams , Near Indira Market. Bhilwara -311001
   स्थाई पता–मकान नं. 28, सुभाष नगर, भीलवाडा
4- श्री गोपाल लाल सोमाणी पुत्र श्री बंशी लाल सोमाणी भागीदार M//s Subhash Ice-creams , Near Indira Market. Bhilwara -311001
   स्थाई पता–मकान नं. 28, सुभाष नगर, भीलवाडा
5- फर्म–M//s Subhash Ice-creams , Near Indira Market.
6- Bhilwara -311001 Bharat P. Parikh S/0 Mr. Parmanand N. Parikh (Nominee)

   M//s Vadilal Enterprises Ltd. C/0 Devendra Interprises , E-43-44, Road-5, Madri Ind. Estat,Udaipur (Raj.)

   Rgistred Office - M//s Vadilal Enterprises Ltd. 8th Floor Time Square, Opp. Iscon Arcade , Nr. Pariseema Complex, C.G. Road, Nacrangpura Ahmedavad - 380009 Parmanent Address of Nominee– A/302, Arjun Ratna Apatment, Opp. Vardhman Flat, Nr. C.P. Nagar, Ghatlodia, Ahmedabad -380061 (Gujarat)
   फर्म–M//s Vadilal Enterprises Ltd., C/0 Devendra

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

Interprises , E-43-44, Road-5, Madri Ind. Estat,Udaipur (Raj.)
Rgistred Office Address - M//s Vadilal Enterprises Ltd. 8th Floor Time Square, Opp. Iscon Arcade , Nr. Pariseema Complex, C.G. Road, Nacrangpura Ahmedavad -380009

– प्रार्थी ––विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51व 52

उपस्थित–

1 श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा

2 विपक्षीगण अधिवक्ता उपस्थित नहीं, एक तरफा कार्यवाही ।

दिनांक 05.04.2017

आदेश

1. शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षीगणों संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षीगण संख्या 01 श्री प्रकाश गुरनानी पुत्र श्री प्रेम चन्द गुरनानी, विक्रेता/मालिक मैसर्स शिवम पान पैलेस, दुकान संख्या 30, सेक्टर–आई, बापुनगर, भीलवाडा (राज.) का निरीक्षण करने पर पाया गया कि कि दुकान में रखे डीपफ्रिज में आम जनता को विक्रय करने हेतु Medium Fat Frozen Dessert (Brand-Vadilal Best Chocobar) के 4 पैक्ड पैकेट Batch No. P01/05/13 रखे हुए थे एक पैकेट को खोलकर देखने एक पैकेट में 14 पीस Medium Fat Frozen Dessert (Brand-Vadilal Best Chocobar) के रखे हुए थे। एक पैकेट को ध्यान से देखने पर Brand- Vadilal Best Chocobar, Net Weight -42 gm , Batch No. P01/05/13, Pkd. 05/2013, Best Befor – 12th Month From Mfg. Mfg. By- Vadilal Industrise Ltd. Village Pundhra, Thl. Mansa , Distt Gandi Nagar -382855 अंकित था। मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की । नियमानुसार Medium Fat Frozen Dessert (Brand-Vadilal Best Chocobar)का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया । बाद जाँच नमूना सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्डेड होना पाया गया। विपक्षीगण संख्या 01 द्वारा लिये गये खाद्य नमूने का कय विपक्षीगण संख्या 02 द्वारा करना बताया जाकर साक्ष्य स्वरूप बिल की प्रति प्रस्तुत की गई। विपक्षीगण संख्या 02, 03, 04 व 05 द्वारा लिये गये खाद्य नमूने का क्रय निर्माता फर्म से करना बताया गया एवं साक्ष्य स्वरूप निर्माता फर्म से खाद्य नमूना

क्रय करना बताया गया एवं साक्ष्य स्वरूप बिल की प्रति प्रस्तुत की । निर्माता फर्म के संविधान संबंधित सूचना प्राप्त कर, विपक्षीगण संख्या 01 से 07 के विरूद्व न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म **5-A** की प्रति, रसीद, नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, नमूना लिये गये फर्म से लेकर निर्माता फर्म तक किये गये पत्र व्यवहार की प्रतियां एवं प्राप्त प्रतिउत्तर, संविधान सबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक दिनांक 13.05.2013 को समय 3:10 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स–शिवम पान पैलेस एण्ड प्रोविजन स्टोर दुकान संख्या 30, सेक्टर–आई, बापूनगर, भीलवाड़ा पर पहुचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय दुकान पर खाद्य विक्रेता/मालिक की हैसियत से श्री प्रकाश गुरनानी पुत्र श्री प्रेम चन्द गुरनानी, उम्र 34 वर्ष , जाति सिंधी निवासी मकान संख्या ए–13, हनुमान मन्दिर के पास बापुनगर, भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को आईस्क्रीम, कोल्डड्रिंग्स, पान मसाला, कुरकुरे इत्यादि आम जनता को विक्रय कर रहा था। विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जारी खाद्य अनुज्ञा पत्र बना होना बताया गया एवं प्रति घर पर होने के कारण बाद में पेश करने बाबत कहा गया। मैसर्स–शिवम पान पैलेस एण्ड प्रोविजन स्टोर दुकान संख्या 30, सेक्टर–आई, बापूनगर, भीलवाड़ा को विक्रेता/मालिक एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में रखे डीपफ्रिज में आम जनता को विक्रय करने हेतु Medium Fat Frozen Dessert (Brand-Vadilal Best Chocobar) के 4 पैक्ड पैकेट Batch No. P01/05/13 रखे हुए थे एक पैकेट को खोलकर देखने एक पैकेट में 14 पीस Medium Fat Frozen Dessert (Brand-Vadilal Best Chocobar) के रखे हुए थे। एक पैकेट को ध्यान से देखने पर Brand- Vadilal Best Chocobar, Net Weight -42 gm , Batch No. P01/05/13, Pkd. 05/2013, Best Befor – 12th Month From Mfg. Mfg. By- Vadilal Industrise Ltd. Village Pundhra, Thl. Mansa , Distt Gandi Nagar -382855 अंकित था। मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद की ।

मौके पर गवाहों एवं विक्रेता की उपस्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत Medium Fat Frozen Dessert (Brand-Vadilal Best Chocobar) के Batch No. P01/05/13 के 28 पीस पोलीपेक हालत में खाद्य कारोबारकर्ता से खरीदे एवं इस बाबत् 336/–रू. अक्षरे तीन सौ छत्तीस रूपये मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की ।

इन खरीदशुदा Medium Fat Frozen Dessert (Brand-Vadilal Best Chocobar) के 28 पीस पोलीपेक को चार भागों में बाटकर चार साफ सुखे खाली चोडे मुह के कॉंच के जारों में प्रत्येक जार में 7 पीस खोलकर डाले। सामान्य तापक्रम आने पर प्रत्येक जार में Medium Fat Frozen Dessert (Brand-Vadilal Best Chocobar) को एक साफ सूखी चम्मच से अच्छी प्रकार से हिला मिलाकर एकरूप किया एवं प्रत्येक नमूना भाग में 36–36 बून्दे फोर्मेलीन बतौर प्रीजरेटिव डालकर ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द किया। प्रत्येक नमूना भाग के लिए लेबल को नियमानुसार भर कर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक X-525 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन

के हस्ताक्षर करवाकर व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को लिये गये Medium Fat Frozen Dessert (Brand-Vadilal Best Chocobar) के रेपर के साथ अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. X-525 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी भीलवाडा डॉ. रमेश चन्द्र सामरिया द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाह ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता/मालिक श्री प्रकाश गुरनानी पुत्र श्री प्रेम चन्द गुरनानी के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। मौका पंचनामा तैयार कर पढ़कर, पढ़ाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये सभी कार्यवाही गवाहों व विक्रेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों कों सील चपड़ी किया था उसका मोनोग्राम मोके पर पंचनामें पर अंकित किया गया साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाह की उपस्थिति में विक्रेता को लिए गये नमूने की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई। लिये गये खाद्य नमूना सख्यां एक्स 525 को खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। शेष बचे भागो को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा करावाया गया।

न्याया निर्णयन आवेदनकर्ता द्वारा विपक्षीगण संख्या 01 को लिये गये नमूने का क्रय बिल प्रस्तुत करने बाबत रजिस्ट्रर्ड पत्र प्रेषित किया गया। पत्र के प्रतिउत्तर में विपक्षीगण 01 द्वारा नमूने का क्रय विपक्षीगण संख्या 02 द्वारा करना बताया गया एंव साक्ष्य स्वरूप क्रय बिल की प्रति प्रस्तुत की । विपक्षीगण संख्या 02 से 05 द्वारा लिये गये नमूने का क्रय निर्माता फर्म से किया गया एवं क्रय बिल की प्रति प्रस्तुत की गई।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. L.S.305/FSSA/2013/306 दिनांक 04.06.2013 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, Medium Fat Frozen Dessert (Brand-Vadilal Best Chocobar) निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (Substandred) व मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा सभी विपक्षीगणो को नियमानुसार प्राप्त जाँच रिपोर्ट रजिस्ट्रर्ड पत्रांक द्वारा भिजवाई गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्माता फर्म की संविधान की जानकारी प्राप्त कर, न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षीगण संख्या 1 श्री प्रकाश गुरनानी पुत्र श्री प्रेम चन्द गुरनानी, विक्रेता/मालिक मैसर्स शिवम पान पैलेस, दुकान संख्या 30, सेक्टर–आई, बापुनगर, भीलवाडा (राज.) व विपक्षीगण 2 से 05 द्वारा सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्डेड Medium Fat Frozen Dessert (Brand-Vadilal Best Chocobar) का विक्रय एवं

विपक्षीगण संख्या 06 व 07 द्वारा सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्डेड Medium Fat Frozen Dessert (Brand-Vadilal Best Chocobar) निर्माण कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 26.08.2013 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 26.08.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 10.10.2013 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित एवं विपक्षीगण एवं विपक्षीगण अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 03.03.2017 को एक तरफा कार्यवाही की गयी।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षीगण संख्या 01 से लिया गया खाद्य नमूना Medium Fat Frozen Dessert (Brand-Vadilal Best Chocobar) सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्डेड होना पाया गया है । **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. 305/एफएसएसए/ 2013/306 दिनांक 04.06.2013 के अनुसार विक्रेता से जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, Medium Fat Frozen Dessert (Brand-Vadilal Best Chocobar) मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (Substandard) एवं मिसब्राण्डेड MISBRANDED होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि लिये गये नमूने के लेबल पर Medium Fat Frozen Dessert लिखा हुआ पाया गया, जबकि लिया गया नमूना Frozen Dessert है। निर्माता फर्म द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के सेक्शन 24 (1)(2)(a)(falsely represents that the foods are of a particular standard, Quality quantity or grade composition) का उल्लघंन किया गया है। इसलिए लिया गया नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिया गया खाद्य नमूना Medium Fat Frozen Dessert (Brand-Vadilal Best Chocobar) में Total Fat more then 2.5 % but less than 10.0% के बीच मे होनी चाहिए जबकि प्राप्त रिपोर्ट लिये गये नमूने में रिडिंग 15.52 प्रतिशत पाई गई है। इसलिए लिया गया नमूना निर्धारित मानक कोटी का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया।** प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षीगणो सख्या 01 से 07 के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की गई। प्रार्थी की यह भी बहस हैं कि खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को एवं निर्माता फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया , किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा एवं निर्माता फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षीगण जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट हैं ।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. 305/एफएसएसए/ 2013/306 दिनांक 04.06.2013 के अनुसार विक्रेता से जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, Medium Fat Frozen Dessert (Brand-Vadilal Best Chocobar) मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड Substandard मिसब्राण्डेड MISBRANDED होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि लिये गये नमूने के लेबल पर Medium Fat Frozen Dessert लिखा हुआ पाया गया, जबकि लिया गया**

नमूना Frozen Dessert है। निर्माता फर्म द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के सेक्शन 24 (1)(2)(a)(falsely represents that the foods are of a particular standard, Quality quantity or grade composition) का उल्लघंन किया गया है। इसलिए लिया गया नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिया गया खाद्य नमूना **Medium Fat Frozen Dessert (Brand-Vadilal Best Chocobar)** में Total Fat more then 2.5 % but less then 10.0% के बीच मे होनी चाहिए जबकि प्राप्त रिपोर्ट लिये गये नमूने में रिडिंग 15.52 प्रतिशत पाई गई है। इस लिए लिया गया नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। विपक्षीगण संख्या 01 श्री प्रकाश गुरनानी पुत्र श्री प्रेम चन्द गुरनानी, विक्रेता/मालिक मैसर्स शिवम पान पैलेस, दुकान संख्या 30, सेक्टर–आई, बापुनगर, भीलवाडा (राज.) एवं विपक्षीगण सं. 02 से 05 द्वारा सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्डेड **Medium Fat Frozen Dessert (Brand-Vadilal Best Chocobar)** का विकय एवं विपक्षीगण संख्या 06,07 द्वारा निर्माण करने के लिये दोषी है । इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 में सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये विपक्षी सं. 01 द्वारा खाद्य पदार्थ का कय बिल प्रस्तुत कर दिया गया था एवं विपक्षी सं. 02 से 05 के द्वारा भी खाद्य पदार्थ का कय बिल प्रस्तुत कर दिया गया था । चूंकि विपक्षी सं. 01 व 02 द्वारा विपक्षी सं. 05 से 'पैक' अवस्था में खाद्य पदार्थ का कय कर, 'पैक' अवस्था में ही खाद्य पदार्थ का विकय किया है एवं साक्ष्य स्वरूप कय बिल की प्रतियां प्रस्तुत की है । अतः विपक्षी सं. 01 व 02 से 05 पर किसी प्रकार की शास्ति आरोपित किया जाना उचित नहीं होने से विपक्षी सं. 01 व 02 से 05 पर किसी भी प्रकार की शास्ति आरोपित नहीं किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी सं. 06 व 07 द्वारा सब–स्टेण्डर्ड व मिसब्राण्डेड **Medium Fat Frozen Dessert (Brand-Vadilal Best Chocobar)** का निर्माण एवं विकय किया गया है , जो कि खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन है। अतः विपक्षी सं. 06 व 07 पर अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत विपक्षी सं. 06 पर 1,50,000/–रू. (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये) एवं विपक्षी सं. 07 पर 1,50,000/–रू. (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी सं. 06 व 07 उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 3 माह के अन्दर शास्ति राशि कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें। उक्त अवधि में शास्ति राशि जमा नहीं कराने पर विहित अधिनियम की धारा 96 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रा.भू.रा. अधिनियम 1956 में अंकित प्रावधानों के अनुसार विपक्षीगण के विरूद्व वसूली कार्यवाही की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/04/17

(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है–

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा

4 श्री प्रकाश गुरनानी पुत्र श्री प्रेम चन्द गुरनानी, मालिक/विक्रेता फर्म– शिवम पान पैलेस, दुकान संख्या 30, सेक्टर–आई, बापुनगर, भीलवाड़ा
स्थाई पता– मकान संख्या ए–13, हनुमान मन्दिर के पास, बापुनगर भीलवाड़ा।

5. श्री घनश्याम सोमाणी पुत्र श्री बंशी लाल सोमाणी भागीदार M//s Subhash Ice-creams , Near Indira Market. Bhilwara -311001
स्थाई पता–मकान नं. 28, सुभाष नगर, भीलवाडा

7. श्री बंशी लाल सोमाणी पुत्र श्री केशुलाल सोमाणी भागीदार M//s Subhash Ice-creams , Near Indira Market. Bhilwara -311001
स्थाई पता–मकान नं. 28, सुभाष नगर, भीलवाडा

8. श्री गोपाल लाल सोमाणी पुत्र श्री बंशी लाल सोमाणी भागीदार M//s Subhash Ice-creams , Near Indira Market. Bhilwara -311001
स्थाई पता–मकान नं. 28, सुभाष नगर, भीलवाडा

9. फर्म–M//s Subhash Ice-creams , Near Indira Market. Bhilwara -311001

10. Bharat P. Parikh S/0 Mr. Parmanand N. Parikh (Nominee) M//s Vadilal Enterprises Ltd. C/0 Devendra Interprises , E-43-44, Road-5, Madri Ind. Estat,Udaipur (Raj.) Rgistred Office - M//s Vadilal Enterprises Ltd. 8th Floor Time Square, Opp. Iscon Arcade , Nr. Pariseema Complex, C.G. Road, Nacrangpura Ahmedavad – 380009 Parmanent Address of Nominee– A/302, Arjun Ratna Apatment, Opp. Vardhman Flat, Nr. C.P. Nagar, Ghatlodia, Ahmedabad -380061 (Gujarat)

11. फर्म–M//s Vadilal Enterprises Ltd., C/0 Devendra Interprises , E-43-44, Road-5, Madri Ind.Estat,Udaipur(Raj.) Rgistred Office Address - M//s Vadilal Enterprises Ltd. 8th Floor Time Square, Opp. Iscon Arcade , Nr. Pariseema Complex, C.G. Road, Nacrangpura Ahmedavad -380009

05.04.17

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)